भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *178
दिनांक 30 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

सामाजिक और व्यवहारीय परिवर्तन संबंधी संचार अभियान

***178. श्रीमती नवनीत रवि राणा :**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में किसी बहु-आयामी कार्यनीति को अपनाने की योजना बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार महिला-पुरुष समानता लाने के लिए लक्षित सामाजिक और व्यवहारीय परिवर्तन संबंधी संचार (एसबीसीसी) अभियान आरंभ करने की योजना भी बना रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (घ) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'सामाजिक और व्यवहारीय परिवर्तन संबंधी संचार अभियान' के संबंध में श्रीमती नवनीत रवि राणा द्वारा दिनांक 30 जुलाई, 2021 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर से संदर्भित विवरण

(क) से (घ) : भारत सरकार ने विभिन्न योजनाबद्ध पहलों के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के माध्यम से उनका सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए पहले ही अनेक कदम उठाए हैं। जबकि, सरकार द्वारा कार्यान्वित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ(बीबीबीपी), प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी एवं ग्रामीण), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एनएसएपी), प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना(पीएमवीवीवाई) और किशोरी स्कीम(एसएजी) जैसी स्कीमें महिलाओं को सामाजिक रूप से सुरक्षित बनने में सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई हैं, वहीं समग्र शिक्षा, राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति स्कीम, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, स्वच्छ विद्यालय मिशन आदि जैसी पहलें सुनिश्चित करती हैं कि स्कूल विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए बालिका अनुकूल हों और उनमें उनकी विशेष जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त सुविधाएं हों। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा(एनसीएफ) 2005 सभी पाठ्यत्तर क्षेत्रों में लिंग को एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्राथमिकता देता है। महिला श्रमिकों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, सरकार उन्हें महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नैटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने स्किल इंडिया मिशन की भी शुरूआत की है। राष्ट्रीय कौशल विकास नीति बेहतर आर्थिक उत्पादकता के लिए अधिक महिला सहभागिता के उद्देश्य से समावेशी कौशल विकास पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और अप्रैंटिसशिप दोनों के लिए अतिरिक्त अवसंरचना निर्मित करने, लचीले प्रशिक्षण प्रदायगी तंत्र, महिलाओं के लिए स्थानीय जरूरत आधारित प्रशिक्षण के लचीले दोपहर के बैचों और सुरक्षित तथा लैंगिक संवेदी प्रशिक्षण माहौल सुनिश्चित करने पर जोर देते हैं। महिलाओं को अपने उद्यम स्थापित करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंडअप इंडिया जैसी स्कीमें हैं। स्वच्छ विद्यालय मिशन के तहत, यह सुनिश्चित किया गया कि सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए कम से कम एक कार्यशील शौचालय हो। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना(पीएमयूवाई) का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छ रसोई ईंधन प्रदान करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के झंझट से भी मुक्त करना है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, हाल ही में अधिनियमित तीन श्रम संहिताओं अर्थात औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी दशाएं संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में महिला श्रमिकों के लिए अनुकूल कार्य माहौल बनाने के लिए कई सक्षम प्रावधान शामिल किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा) में स्कीम(मनरेगा) के तहत सृजित कम से कम एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिए जाने का अधिदेश है। बालिका का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, सरकार ने 'सुकन्या समृद्धि योजना' नामक एक बचत स्कीम शुरू की। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और कानूनी परामर्श, मनो-सामाजिक परामर्श, अस्थायी आश्रय आदि जैसी समेकित सेवाओं की श्रृंखला प्रदान करने के लिए सरकार ने 'वन स्टॉप सैंटर' (ओएससी) स्कीम भी शुरू की है। इसके अलावा, महिला हैल्पलाइन(डब्ल्यूएचएल) स्कीम सार्वजनिक एवं निजी दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सैंटर, अस्पताल, कानूनी सेवाओं आदि जैसे उपयुक्त विभागों के साथ जोड़कर चौबीसों घंटे आपात और गैर-आपात प्रतिक्रिया उपलब्ध कराती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने '**मिशन शक्ति**' नाम के तहत एक समेकित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम के रूप में महिलाओं की संरक्षा, सुरक्षा और सशक्तीकरण की अम्ब्रेला स्कीम को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है, जिसमें जीवन चक्र निरंतरता आधार पर महिलाओं के मुद्दों के समाधान और गवर्नेंस

तथा सहभागी दृष्टिकोण के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में उन्हें समान भागीदार बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सशक्तीकरण के राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय केंद्रों, वन स्टॉप सैंटर्स, महिला हैल्पलाइन, निराश्रित महिला गृहों, कामकाजी महिला हॉस्टल आदि जैसी कुछ उपरोक्त स्कीमों को शामिल किया गया है।

मिशन शक्ति में गहरी पैठ वाली पितृसत्तात्मक सोच को बदलने और लैंगिक समानता लाने के लिए व्यापक स्तर पर सामाजिक और व्यवहारीय परिवर्तन संचार, पैरवी, आईईसी और संपर्क कार्यक्रमों के अभियानों की भी परिकल्पना की गई है।

*****